

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(16)खा.वि./आवंटन/2021


जयपुर, दिनांक : 15-11-2021

:- आदेश :-

निर्देशानुसार डूंगरपुर जिले में भारतीय खाद्य निगम के राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के पीईजी सेन्टर थाणा, डूंगरपुर से खाद्यान्न कम प्राप्त होने के संबंध में की गई गडबडियों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर की अध्यक्षता में गठित जांच दल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जांच/परीक्षण कर दायित्वों का निर्धारण कर जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आपूर्ति किये गये कम गेहूं के कारण हुई हानि/राशि की वसूली दोषी गोदाम स्वामी तथा एजेन्सी से कराने के संबंध में कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया जाता है :-


- 1- महाप्रबधक (प्रशासन), राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
- 2- उपायुक्त एवं उपशासन सचिव(प्रथम), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3- उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग, राज.जयपुर।

उक्त कमेटी प्रकरण की जांच/परीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट मय प्रस्तावित कार्यवाही शीघ्र विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।


(अनिल कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
3. महाप्रबधक (प्रशासन), राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
4. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव(प्रथम), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग, राज.जयपुर।


उपायुक्त एवं उप शासन सचिव(खाद्य)